पत्र संख्या-वा0अनु0/परिपत्र/2025-26/ 921 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
(वाद अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: ~~अगस्त,~~ 01, सितम्बर 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0।
समस्त राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उ0प्र0।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल रिट टैक्स सं०-3684/2025 सर्वश्री राजधानी उद्योग बनाम उ0प्र0 व 02 अन्य में दिनांक 25.08.2025 को पारित अंतरिम आदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 न्यायालय द्वारा **Judicial Pronouncements** के संदर्भ में निर्देश पारित किये गये हैं।

पारित आदेश दिनांक 25.08.2025 के प्रभावी अंश निम्नवत हैं -

9. "Further, it is directed that in the said personal affidavit to be filed, the concerned authority is hereby directed to formulate and disseminate a comprehensive & structured road map to ensure that all the concerned officers are duly updated regarding the recent judicial pronouncements."

10. "List the matter again on 09.09.2025, as fresh."

उक्त आदेश के अनुपालनार्थ, मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग द्वारा **"Judicial Pronouncements"** शीर्षक से एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जो विभागीय वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित है। उक्त मॉड्यूल पर मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ द्वारा समय-समय पर पारित नवीनतम न्यायिक निर्णय उपलब्ध रहेंगे। इसकी फीडिंग का कार्य उच्चतम न्यायालय कार्य, गाजियाबाद, उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज एवं उच्च न्यायालय कार्य, लखनऊ कार्यालयों द्वारा साप्ताहिक आधार पर किया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारीगण उक्त मॉड्यूल का नियमित रूप से अवलोकन करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का विधिवत संज्ञान ग्रहण करें तथा आवश्यकतानुसार विभागीय विधिक कार्यवाही समयबद्ध रूप से संपादित किया जाना सुनिश्चित करें।

ह0
(डा0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- अपर आयुक्त ग्रेड-1/2 (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ एवं संयुक्त आयुक्त (उच्चतम न्या0कार्य), गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त मॉड्यूल पर नियमानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की फीडिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।
3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Akhilesh Kumar Singh
Date: 01-09-2025
12:43:26

संयुक्त आयुक्त (वाद), राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।